उत्तर प्रदेश शासन
नियोजन अनुभाग-1
संख्याः 21/2019/831/35-1-2019-7-331/ज.नि.प्र./2019
लखनऊः दिनांकः 07 नवम्बर, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा समस्त लाभार्थीपरक योजनायें यथा- विभिन्न पेंशन योजनायें, प्रधानमंत्री आवास योजना, पंचायतीराज विभाग के अन्तर्गत शौचालय के निर्माण योजना एवं छात्रवृत्ति वितरण में लाभार्थियों के आधार नम्बर के फीडिंग एवं वैलीडेशन का कार्य 02 माह में सम्पन्न कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। इसके साथ ही यह भी निर्देश दिये गये हैं कि यथासम्भव सभी लाभार्थियों के आधार प्राप्त किये जायें परन्तु किसी भी दशा में किसी भी लाभार्थी को आधार न होने के कारण योजना के लाभ से वंचित न किया जाये वरन विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रयास कर उनके आधार नम्बर जारी करवाना भी सुनिश्चित किया जाये। दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 तक आधार नम्बर का प्रयोग कर डुप्लीकेसी चिन्हित कर उसे हटाते हुये प्रत्येक परिवार को दी जाने वाली योजना का विवरण प्राप्त कर लिया जाये। इस कार्य हेतु नियोजन विभाग को नोडल विभाग नामित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

वर्तमान में विभिन्न योजनाओं से आच्छादित पेंशनरों का वार्षिक/द्विवार्षिक भौतिक सत्यापन प्रभावी तरीके से न होने के कारण कई बार मृतक पेंशनरों के खाते में धनराशि भेजी जाती है, जो बैंकों में अवरूद्ध पड़ी रहती है। भौतिक सत्यापन के इस कार्य को ई-पॉस मशीन के माध्यम से सुगमतापूर्वक कराया जा सकता है। इस निमित मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर परीक्षणोंपरान्त समुचित प्रस्ताव प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उपरोक्त कार्यों के सम्पादन हेतु नियोजन अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या:29/2017/1112/35-1-2017-7-270/ज0नि0प्र0/2016 दिनांक 03 नवम्बर, 2017 द्वारा मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित 'राज्य स्तरीय डी0बी0टी0 एवं आधार एडवाइजरी समिति' में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

राज्य स्तरीय डी0बी0टी0 एवं आधार एडवाइजरी समिति

1- मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन- अध्यक्ष।
2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन/हब, उत्तर प्रदेश डी0बी0टी0 एवं आधार सेल तथा राज्य डी0बी0टी0 कोआर्डीनेटर- सदस्य।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन- सदस्य।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन- सदस्य।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग- सदस्य।
6- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, महिला कल्याण विभाग- सदस्य।
7- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग- सदस्य।
8- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, राजनैतिक पेंशन विभाग- सदस्य।
9- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास विभाग- सदस्य।
10- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग- सदस्य।
11- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायती राज विभाग- सदस्य।
12- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग- सदस्य।
13- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग- सदस्य।

क्रमशः 2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

14- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग- सदस्य।
15- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग- सदस्य।
16- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा विभाग- सदस्य।
17- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग- सदस्य।
18- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग- सदस्य।
19- डी0बी0टी0 योजनाओं से सम्बन्धित अन्य प्रशासकीय विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव-सदस्य।
20- उप महानिदेशक, यू0आई0डी0ए0आई0, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ- सदस्य।
21- राज्य सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, उ0प्र0- सदस्य।
22- महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एस0एल0बी0सी0), उ0प्र0- सदस्य।
23- निदेशक, जनशक्ति नियोजन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0 एवं प्रशासनिक कोआर्डीनेटर, उत्तर प्रदेश डी0बी0टी0 एवं आधार सेल- सदस्य सचिव।

नियोजन विभाग के अधीन कार्यरत जनशक्ति नियोजन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0 राज्य स्तरीय डी0बी0टी0 एवं आधार एडवाइजरी समिति के सचिवालय के रूप में कार्य करेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त उक्त कार्य के सफल संचालन हेतु उ0प्र0 डी0बी0टी0 एवं आधार सेल के तकनीकी कोआर्डीनेटर (हेड, स्टेट ई-गवर्नेन्स मिशन टीम, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0), वित्तीय कोआर्डीनेटर (निदेशक, कोषागार, वित्त विभाग, उ0प्र0), स्टेट नोडल आफीसर, पी0एफ0एम0एस0- स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, उ0प्र0, जनगणना निदेशालय, उ0प्र0, नेशनल पेमेन्ट कारपोरेशन आफ इण्डिया, टेलीकाम सेवा प्रदाता के प्रतिनिधियों को भी राज्य स्तरीय डी0बी0टी0 एवं आधार एडवाइजरी समिति की बैठकों में आवश्यकतानुसार आमंत्रित किया जायेगा।

नियोजन अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या:29/2017/1112/35-1-2017-7-270/ज0नि0प्र0/2016 दिनांक 03 नवम्बर, 2017 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

(कुमार कमलेश)
अपर मुख्य सचिव।

संख्याः 21/2019/831(1)/35-1-2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3- उपरोक्त समिति के समस्त सदस्य।
4- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
5- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/सचिव/समस्त विशेष सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- निदेशक, जनशक्ति नियोजन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0।
7- निदेशक, कोषागार, वित्त विभाग, उ0प्र0।
8- निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, उ0प्र0।
9- हेड, स्टेट ई-गवर्नेन्स मिशन टीम, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0।
10- स्टेट नोडल आफीसर, पी0एफ0एम0एस0- स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(अंकित कुमार अग्रवाल)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in